भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2469

उत्तर देने की तारीख 13.03.2025

वैश्विक बाजार में एमएसएमई

†2469. **श्रीमती बिजुली कलिता मेधीः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार वैश्विक बाजार में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अपनी नीतियों में किस प्रकार सुधार कर सकती है; और

(ख) एमएसएमई क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने की रणनीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): एमएसएमई मंत्रालय वैश्विक बाजार में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कई स्कीमों और पहलों का कार्यान्वयन करता है, जो इस प्रकार हैं:

(i) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम एमएसएमई को अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने की सुविधा प्रदान करती है, जो वैश्विक बाजार पारितंत्र को समझने, नेटवर्क बनाने और बाजार में उपलब्ध नवीनतम तकनीकों से परिचित होने का अवसर प्रदान करती है। आईसी स्कीम में पहली बार निर्यात करने वालों के लिए क्षमता निर्माण घटक भी शामिल हैं, जो एमएसएमई को सदस्यता, निर्यात बीमा प्रीमियम और उत्पादों और सेवाओं के लिए परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन हेतु शुल्क के लिए विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान करता है। आईसी स्कीम उद्योग संघों को उद्योग क्षेत्र से विदेशी वक्ताओं और विशेषज्ञों को आमंत्रित करके भारत में सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं का आयोजन करने की सुविधा भी प्रदान करती है, ताकि एमएसएमई के साथ सर्वोत्तम पद्धतियों, नए उभरते बाजारों, नवीनतम तकनीक आदि के ज्ञान को साझा किया जा सके।

(ii) एमएसएमई मंत्रालय ने 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) स्थापित करके एमएसएमई क्षेत्र में निर्यात संवर्धन के लिए एक समर्पित सहायता प्रणाली स्थापित की है। ये ईएफसी एमएसएमई के लिए उपलब्ध विभिन्न स्कीमों और सहायता के बारे में जानकारी प्रसारित करके एमएसएमई की सहायता करते हैं, उन्हें एनबीएफसी, नए फिनटेक स्टार्ट-अप आदि जैसे वित्तीय संस्थानों से जोड़ने में निर्यातकों की सहायता करते हैं, ताकि प्रतिस्पर्धी दरों आदि पर ऋण प्राप्त किया जा सके।

(iii) एमएसएमई मंत्रालय मौजूदा नीतियों/ स्कीमों/कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नीतियां गतिशील कारोबारी माहौल के लिए प्रासंगिक और उत्तरदायी बनी रहें। मंत्रालय नीतिगत फ्रेमवर्क में उनके इनपुट और फीडबैक के लिए उद्योग संघों/चैंबरों को भी शामिल करता है, जिससे चुनौतियों और अवसरों की समय पर पहचान करने में सहायता मिलती है ताकि बाजार की गतिशील मांगों के अनुकूल बने रहें। इन कार्यों के माध्यम से, मंत्रालय एमएसएमई के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है।

(ख): एमएसएमई क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय एमएसएमई चैंपियंस स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई की विनिर्माण प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना, अपव्यय को कम करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और उनकी राष्ट्रीय और वैश्विक पहुंच और उत्कृष्टता को सुविधाजनक बनाना है। एमएसएमई चैंपियंस स्कीम के अंतर्गत घटक एमएसएमई-सतत – जीरो इफ़ेक्ट जीरो डिफ़ेक्ट (जेड) स्कीम, एमएसएमई-इनोवेटिव स्कीम और एमएसएमई-प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम हैं।

एमएसएमई-सतत (जेड) स्कीम एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, उन्हें सतत बनाने और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन के रूप में परिवर्तित करने पर केंद्रित है।

एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम एमएसएमई के बीच जागरूकता सृजित करने और उन्हें एमएसएमई चैंपियन बनने हेतु प्रेरित करने के लिए एकल मोड दृष्टिकोण में इनक्यूबेशन, डिजाइन हस्तक्षेप और आईपीआर के संरक्षण में नवाचार का एक संयोजन है।

एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक (लीन) का उद्देश्य विभिन्न लीन तकनीकों के अनुप्रयोग के माध्यम से एमएसएमई की घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

****